

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-495/10
संस्थापित दिनांक-29.11.2010
filling number 235103001912010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- लल्ला उर्फ लालाराम पुत्र दल्लू उर्फ दलीप सिंह कुशवाह उम्र 44 साल 2- गज्जू पुत्र दल्लू उर्फ दलीप सिंह कुशवाह उम्र 40 साल 3- सुक्खा उर्फ सुखराम पुत्र दल्लू उर्फ दलीप सिंह कुशवाह उम्र 40 साल निवासीगण- ग्राम अर्रोन चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 17.04.2017 को घोषित)

01. आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 323, 190 सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 04.11.2010 समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादी सोनाबाई का खेत ग्राम अर्रोन लोकस्थल में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित कर उसकी मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादिया को लोकसेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहते हुए जान से मारने की धमकी दी।

02. प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि अभियुक्त जित्तू नाबालिक होने से उसका पृथक से बाल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है तथा यह निर्णय अभियुक्त लल्ला, गज्जू, सुक्खा के विरुद्ध पारित किया जा रहा है।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया सोनाबाई बंजारा ने अपने पति बलराम के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 04.11.2010 को सुबह 5 बजे की बात है कि वह अपने खेत पर राई व चना की फसल की रखवाली करने गई थी तो लल्ला कुशवाह, सुक्खा कुशवाह, गज्जू कुशवाह, जित्तू कुशवाह निवासी अर्रोन चारो के मवेशी उसके खेत में आ गये, उसने मवेशी

भगाये तभी चारो उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालिया देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो लल्ला ने कुल्हाड़ी मारी उसके सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया, सुक्खा ने एक लाठी मारी दांहिने हाथ की कोहनी में मुंदी चोट आई गज्जू ने लाठी मारी जो दांये हाथ के अंगुठा में लगी फिर जितू ने लाठी मारी दांहिने पैर की जांघ में लगी, मुंदी चोट आई, तभी वह चिल्लाई तो उसका पति बलराम आ गया तो लल्ला ने उनके लाठी मारी, इतने में जैता बंजारा व भूरा बंजारा आ गये और चारो भाग गये, जाते-जो चारो कहने लगे कि आज को बच गये आइन्दा जान से खत्म कर देगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि:-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.11.2010 समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादी सोनाबाई का खेत ग्राम अर्ोन लोकस्थल में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया।
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया।
3.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
4.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया को लोकसेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहते हुए जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क. 1, 2 व 4:-

06- विचारणीय प्रश्न क. 1, 2 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी सोनाबाई अ0सा0 02 द्वारा

अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 4-5 साल पूर्व की होकर शाम की है। घटना दिनांक को वह उसके खेत पर थी तो आरोपीगण ने उसे मारा था, जिसके संबंध में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 लेखबद्ध कराई थी पुलिस ने उसकी चोटो का मेडिकल कराया था और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.3 बनाया की नहीं उसे याद नहीं।

07- न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण के ढोर उसके खेत में आ गये थे जब उसके द्वारा ढोर भगाये गये तो आरोपीगण उसे मां बहन की गालियां देने लगे तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि पहले गाली लल्ला ने दी थी बाद में सभी आरोपीगण उसे गालियां देने लगे थे। **विष्णु प्रसाद वि० म० प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते हैं किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया सोनाबाई द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्तगण ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्तगण ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

08- सोनाबाई अ०सा०2 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि जब वे रिपोर्ट करने आने लगे तो आरोपीगण ने उन्हें रोक लिया और बोले कि आज तो बच गये आइन्दा जान से खत्म कर देगे। उक्त बात का समर्थन बलराम अ०सा०3 द्वारा भी किया गया है। फरियादिया सोनाबाई अ०सा०2 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से वह लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रही हो, इसके विपरीत फरियादिया द्वारा घटना दिनांक को ही अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है जिससे यह दर्शित नहीं है कि फरियादिया घटना दिनांक को लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रही हो। सोनाबाई अ०सा०2 से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि जब वे रिपोर्ट करने आने लगे तो आरोपीगण ने उन्हें रोक लिया था। बलराम अ०सा०3 ने भी उक्त बात का समर्थन किया है कि आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिया था, परन्तु उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से उन्हें रोके जाने के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित हो कि फरियादी सोनाबाई एवं उसके पति बलराम को आरोपीगण के द्वारा उस दिशा में जाने से रोका हो जिस दिशा में जाने का उन्हें अधिकार था।

09— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनाबाई अ0सा02 का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क. 3:—

10— सोनाबाई अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना दिनांक को वह खेत पर थी तो आरोपीगण ने उसे मारा था, कुल्हाडी लल्ला ने मारी थी जो उसके सिर में लगी थी उसके बाद वह बेहोश हो गई थी, होश होने पर वह चिल्लाई तो चिल्लाने से उसका पति आ गया और आरोपीगण उसके पति को देखकर भाग गये थे। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि लल्ला ने उसके दाहिनी तरफ सिर में कुल्हाडी मारी थी तथा अभियुक्त सुखरा उर्फ सुखराम ने एक लाठी दाहिने हाथ में मारी थी जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि घटना स्थल पर जैता बंजारा, भूरा बंजारा आ गये थे तो चारो आरोपीगण भाग गये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके सिर पर दाहिनी तरफ कुल्हाडी मारी थी और उसे कंधे पर भी चोट लगी थी।

11— बलराम अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से 4-5 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसकी पत्नी सोनाबाई राई व चने की फसल बो रही थी तो उसके खेत में आरोपीगण के बैल आ गये थे। मेरी पत्नी ने बैलो के बारे में कहा तो आरोपीगण ने मेरी पत्नी को मारने लगे और मारपीट में मेरी पत्नी सोनाबाई बेहोश हो गई। सोनाबाई के चिल्लाने पर मैं घटना स्थल पर पहुँचा उस समय आरोपीगण घटना स्थल से भाग गये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि सोनाबाई ने उसे बताया कि लालाराम ने उसे कुल्हाडी से मारा था और गज्जू ने लाठी से मारा था। अन्य दो आरोपीगण के नाम याद न होना व्यक्त किया। घटना स्थल पर कौन कौन लोग थे उसे याद नहीं। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि यह बात सही है कि घटना के समय वह गाँव में था और गाँव में कहा बैठा था उसे ध्यान नहीं है। साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस को बता दिया था कि वह गाँव में कहा बैठा था, फिर कहा वह उसक खेत पर काम नहीं कर रहा था। साक्षी ने बताया कि उसे यह ध्यान नहीं है कि उसकी पत्नी को सिर में किस तरफ चोट लगी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने बताया कि जब उसकी पत्नी होश में आई तब उसने घटना के बारे में बताया था। साक्षी ने बताया कि आरोपीगण घटना स्थल पर मिल गये थे।

12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी जैता अ0सा04, नारायण सिंह अ0सा06, भूरा बंजारा अ0सा07 ने घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन को उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13— फरियादी सोनाबाई अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और आरोपी लल्ला ने उसकी दाहिनी तरफ सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 04.11.2010 को फरियादी सोनाबाई का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसे एक फटा घाव जो सिर के फ्रन्टल भाग पर था जिसका आकार 3.5 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी, चोट क्र0 2 फटा घाव जो बाएं हाथ की तरजनी के अग्रभाग पर स्थित था, चोट क्र0 3 नीलगू निशान जो दाहिने हाथ की कोहनी पर पीछे की तरफ था, चोट क्र0 4 नीलगू निशान जो बाएं हाथ के अंगुठे पर था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि चोट क्र0 1 कुल्हाड़ी की नोक पर धारदार हथियार से नहीं आ सकती है।

14— म0प्र0 शासन वि0 हमीम खांन 1999 (2)जे.एल.जे.पी-310 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि यदि आहत की साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता हो तब ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओं पर विश्लेषण के आधार पर आरोपी लल्ला उर्फ लालाराम, गज्जू, सुक्खा उर्फ सुखराम द्वारा आहत सोनाबाई अ0सा02 की कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। चिकित्सीय साक्ष्य में फटा हुआ घाव होना एवं चोट साधारण होने से आरोपीगण को धारा 341, 294, 190 भा0द0वि0 के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, और प्रमाणित अपराध धारा 323/34 भा0द0वि0 में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15— आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के तथ्य पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा आहत सोनाबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना यह न्यायालय उपयुक्त नहीं पाता है।

16— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया गया।

पुनश्च:—

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

19— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध एवं उनके निर्धन होने को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया, जबकि अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्य, आहत को आई चोटो एवं अभियुक्तगण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
लल्ला उर्फ लालाराम	323 / 34	न्यायालय उठने तक का कारावास	500 / —	7 दिन
गज्जू	323 / 34	न्यायालय उठने तक का कारावास	500 / —	7 दिन
सुक्खा उर्फ सुखराम	323 / 34	न्यायालय उठने तक का कारावास	500 / —	7 दिन

20— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी 2 बांस के डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा अंकसूची की छायाप्रति अभिलेख का भाग रहेगी।

22— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

